नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

समन्वय, अनुसंधान और प्रशिक्षण (सीआरटी) प्रभाग

विषय: टीसीपीओ इंटर्नशिप नीति

नियोजन पेशे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में, टीसीपीओ पूरे देश में योजना विद्यालयों और संस्थानों से निष्णात (मास्टर्स) और स्नातक दोनों स्तर के छात्रों के लिए नियोजन और इससे संबंधित विषयों पर कई वर्षों से सफल इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक-पूर्व/स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे छात्रों या शोधार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल करने के लिए टीसीपीओ अब इंटर्नशिप नीति की घोषणा करता है। इंटर्नशिप को टीसीपीओ के भीतर विभिन्न प्रभागों में प्रोफेशनल गतिविधियों से अवगत कराने और छात्रों को कौशल तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

जो छात्र इंटर्नशिप के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें चयन होने पर टीसीपीओ के विभिन्न प्रभागों में रखा जाता है, जहां वे एक अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं जो उनकी इंटर्नशिप के छह से आठ सप्ताह के दौरान उनका सलाहकार/संरक्षक होता है। नियमित उपस्थिति को दर्ज किया जाता है। इंटर्नशिप अवधि के अंत में इंटर्न को रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है और उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है।

2. इंटर्नशिप अवैतनिक आधार पर होगी। वर्तमान में, टीसीपीओ इंटर्न को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है।

3. लक्ष्य: चयनित अभ्यर्थियों को "इंटर्न" के रूप में टीसीपीओ, भारत सरकार के विभिन्न प्रभागों के कामकाज से अल्पकालिक अवधि में अवगत कराने की अनुमति देना। जिन डोमेन/क्षेत्रों के लिए इंटर्नशिप आमंत्रित की गई है, उनकी सूची अनुलग्नक-क में है।

3.1 उद्देश्य:

क) पारस्परिक लाभ हेतु युवा अकादमिक प्रतिभा को टीसीपीओ से जोड़ने की अनुमति देना।

ख) इंटर्न को सामान्य रूप से सरकारी कामकाज और शहरी और क्षेत्रीय नियोजन और विकासात्मक नीति के मुद्दों से अवगत होने का अवसर मिलेगा और अनुभवजन्य विश्लेषण, संक्षिप्त रिपोर्ट, शहरी सुधार एजेंडा, नीति पेपर इत्यादि जैसे इनपुट उत्पन्न करके नीति निर्माण में योगदान देंगे।

3.2 उपलब्धता: छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर पूरे वर्ष इंटर्नशिप उपलब्ध होगी।

3.3 पात्रता: भारत या विदेश में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान के वास्तविक छात्र, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

क) स्नातक कर रहे छात्र जिन्होंने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम का दूसरा वर्ष/चौथा सेमेस्टर पूरा कर लिया हो/उसकी सत्रांत परीक्षा दी हो।

ख) स्नातक छात्र जिन्होंने अपने स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर पूरा कर लिया हो/उसकी सत्रांत परीक्षा दी हों या शोध कार्य कर रहे हो।

ग) जिन छात्रों ने अंतिम परीक्षा दी है या अभी स्नातक/स्नातकोत्तर पूरा किया है और उच्च अध्ययन हेतु प्रवेश लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनपर भी इंटर्नशिप के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि:

घ) अंतिम परीक्षा के परिणाम की घोषणा के महीने और इंटर्नशिप के वांछित महीने के बीच की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, उदाहरणार्थ यदि परिणाम जून के महीने में घोषित किया जाता है तो वह दिसंबर के महीने तक शुरू होने वाली इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है।

3.4 अवधि: इंटर्नशिप की अवधि कम से कम छह सप्ताह होगी लेकिन आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगी। अपेक्षित अवधि पूरी नहीं करने वाले इंटर्न को कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

3.5 अनुभव प्रमाण पत्र: टीसीपीओ द्वारा अनुलग्नक-ख में दिए गए प्रारूप के अनुसार इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

3.6 सम्भारिकी और सहायता: इंटर्न अपना लैपटॉप उपयोग करेंगे। टीसीपीओ उन्हें काम करने के लिए जगह, इंटरनेट की सुविधा और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराएगा।

3.7 आवेदन करने की प्रक्रिया:

क) इच्छुक आवेदक प्रत्येक माह की पहली से 10 तारीख के दौरान <cp.tcpo@yahoo.com> पर ईमेल द्वारा आवेदन कर सकते हैं।

ख) आवेदन केवल छह महीने पहले किया जा सकता है लेकिन उस महीने से 2 महीने पहले तक किया जा सकता है जिसमें इंटर्न द्वारा इंटर्नशिप करने का प्रस्ताव है। उदाहरणार्थ यदि कोई आवेदक अप्रैल, 2019 माह में शुरू होने वाली इंटर्नशिप में शामिल होना चाहता/चाहती है तो वह अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2019 के महीने में आवेदन कर सकता/सकती है।

ग) आवेदन केवल प्रस्तावित माह के लिए वैध होगा।

घ) आवेदकों को रुचि के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा।

ङ) आवेदक को आवेदन के साथ जीवन वृत्त (सीवी) और कॉलेज/संस्थान से एक "परिचय पत्र" प्रदान करना होगा (जिसका प्रारूप अनुलग्नक-ग में है), ऐसा न करने पर उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।

च) एक अभ्यर्थी वर्ष में केवल एक बार इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकता है।

छ) पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.8 चयन और अन्य तौर-तरीकों के लिए प्रक्रिया:

क) प्राप्त सभी आवेदनों की सीआरटी प्रभाग द्वारा जांच की जाएगी और अभ्यर्थियों का चयन मुख्य नियोजक (सीपी)/अपर मुख्य नियोजक (एसीपी) के अनुमोदन से किया जाएगा। इंटर्न (प्रशिक्षु) के रूप में अभ्यर्थी की उपयुक्तता के संबंध में सीपी/एसीपी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ख) प्रत्येक प्रभाग एक बार में अधिकतम चार इंटर्न ले सकता है। सीपी/एसीपी की अनुमति से इस संख्या में चार से अधिक की छूट दी जा सकती है।

ग) संबंधित प्रभाग चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से सूचित करेगा।

घ) किसी विशेष डोमेन/क्षेत्र के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, टीसीपीओ के पास पात्रता मानदंड तय करने, किसी विशेष अवधि के लिए बुलाए जाने वाले आवेदकों की संख्या

सीमित करने और उनकी जाँच (स्क्रीनिंग) के तरीके के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है।

ङ) संबंधित परामर्शदाता यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे कि इंटर्न के साथ पारस्परिक रूप से सहमत कार्य कार्यक्रम और आउटपुट संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया है। इंटर्न (प्रशिक्षुओं) को अपने सीखने के अनुभव के बारे में अपने सत्रीय कार्य के अंत में संक्षिप्त रिपोर्ट/पेपर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। इंटर्न से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपने काम का प्रस्तुतीकरण करें।

च) इंटर्न के लिए टीसीपीओ द्वारा सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं।

3.9 उपस्थितिः उपस्थिति का रिकार्ड संबंधित प्रभाग/परामर्शदाता द्वारा रखा जाएगा। इंटर्न की उपस्थिति कम से कम 90% होनी चाहिए और उन्हें दैनिक आधार पर आने और जाने का समय चिह्नित करना होगा। 90% से कम उपस्थिति के मामले में इंटर्नशिप अवधि के विस्तार की अनुमति नहीं है और कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

इंटर्न अपने संबंधित परामर्शदाता को कारण सहित लिखित रूप में आवेदन देकर छुट्टी ले सकते हैं। चिकित्सा आधार पर छुट्टी लेने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.10 यह सख्ती से देखा जा सकता है कि इंटर्न का आचरण और डेटा तक उनकी पहुंच टीसीपीओ के संबंधित परामर्शदाता/प्रभागाध्यक्ष की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

4. नीति की समीक्षा: टीसीपीओ किसी भी समय इस इंटर्नशिप नीति के प्रावधानों की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस प्रकार समीक्षा की गई नीति को टीसीपीओ की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

5. छूट: सीपी/एसीपी के पास किसी भी योग्य अभ्यर्थी के संबंध में ऊपर वर्णित किसी भी शर्त में छूट देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

*****

अनुलग्नक-क

इंटर्नशिप के लिए उपलब्ध डोमेन/क्षेत्रों की सांकेतिक सूची

शहरी मिशन प्रभाग

- मंत्रालय की मिशन आधारित परियोजनाएं, अमृत सुधार, शहरी सुधार और ई-शासन
- अमृत सुधार प्रभाव आकलन अध्ययन
- दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की योजना
- परियोजना संकल्पना और निरूपण
- अवसंरचना योजना डिजाइन
- क्षेत्र आधारित विकास जैसे स्मार्ट सिटी योजना, आदि।
- पुनर्विकास और रेट्रोफिटिंग
- ग्रीनफील्ड क्षेत्र की योजना और नए टाउनशिप का डिजाइन

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

1. पेरी-अर्बन (शहर से सटे हुए क्षेत्र) क्षेत्र
   - पेरी-अर्बन क्षेत्रों की अवधारणा और मेट्रो शहरों पर इसका प्रभाव
   - पेरी-अर्बन क्षेत्रों का शासन
   - ग्रामीण-शहरी अंतराफलक (इंटरफ़ेस)
2. 73वां सीएए (कार्यान्वयन, निगरानी और इसके प्रभाव)
   - प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं पर आधारित सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव
3. स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार करना
   - मास्टर प्लान/सीओपी के संदर्भ में स्थानीय क्षेत्र नियोजन की प्रक्रिया
   - स्थानीय क्षेत्र योजना निर्माण और उसके कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी
   - विकास योजना बनाम स्थानीय क्षेत्र योजना
   - हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
4. परिवहन योजना मुद्दे
   - सूक्ष्म स्तर के मुद्दे
   - वायु प्रदूषण, यातायात की भीड़
   - विभिन्न परस्पर जुड़े परिवहन साधनों का विकास
   - पैदल यात्रियों के लिए बाधा रहित आवाजाही, पैदल यात्रियों के अधिकारों पर शिक्षा का प्रचार
   - परिवहन आवश्यकताओं हेतु उपभोक्ताओं के मूल्यांकन के लिए बाजार सर्वेक्षण
   - स्ट्रीट हॉकर्स - विकास और मुद्दे
   - पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन - साइकिल

पर्यावरण नियोजन प्रभाग

- दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट शहरी हरित समुदाय (एसयूसीजी) प्रणाली
- भारत में शहरी केंद्रों के लिए सुस्थिर ऊर्जा आधारित योजना
- भारत में शहरी क्षेत्रों के लिए सुस्थिर विकास संकेतकों के लिए दिशानिर्देश
- शहरी नियोजन हस्तक्षेपों के माध्यम से शहरों में शहरी ताप द्वीप प्रभाव का मुकाबला करना
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का सुस्थिर प्रबंधन

शहरी और क्षेत्रीय सूचना प्रणाली (यूआरआईएस) प्रभाग

- जीआईएस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए मास्टर प्लान तैयार करना
- ड्रोन प्रौद्योगिकी
- डिजाइन और मानक
- शहरी सांख्यिकी

महानगर और केंद्र शासित प्रदेश (एमयूटी) प्रभाग

- कार्य को सरल बनाना (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) - निर्माण अनुज्ञा पत्र (कंस्ट्रक्शन परमिट)
- रुर्बन मिशन
- रहने की योग्यता का सूचकांक
- नए ऊर्जा स्रोत
- ऑनलाइन भवन निर्माण योजना अनुमति प्रणाली (ओबीपीएस) का तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा
- भवन निर्माण योजना अनुमोदन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना

समन्वय, अनुसंधान और प्रशिक्षण (सीआरटी) प्रभाग

- शहरी और क्षेत्रीय नियोजन में मुद्दे और चुनौतियाँ
- भारत में शहरीकरण और शहरी नीति
- भारत में नियोजन प्रक्रिया

विशेष परियोजना प्रभाग

- शहरी डिजाइन/वास्तुकला परियोजनाएं
- पुनर्विकास या शहरी नवीकरण परियोजनाएं
- नगर नियोजन योजना/लैंड पूलिंग
- स्थानीय क्षेत्र योजनाएं

अनुलग्नक-ख

इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रारूप

(पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर दिया जाएगा)

फ़ाइल संख्या ..... दिनांक: .....

जिस किसी से भी संबंधित हो

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ..... विश्वविद्यालय/संस्थान के छात्र ने नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ ..... से ..... तक अपनी इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इंटर्नशिप अवधि के दौरान, उन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में ..... के अंतर्गत ..... प्रभाग में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था।

(i)

(ii)

2. उन्होंने ..... के लिए विशेष अभिक्षमता दिखाई है और उनके प्रदर्शन को ..... दर्जा दिया गया है।

3. अपनी इंटर्नशिप की अवधि के दौरान उन्होंने लगन से काम किया है और सौंपे गए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है और एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। इस दौरान वह ईमानदार और मेहनती पाए गए हैं। उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि के दौरान वे समय के पाबंद थे।

4. मैं उनके जीवन और करियर में उनकी सफलता की कामना करता हूँ।

....

नगर एवं ग्राम नियोजक (सीआरटी) मुख्य नियोजक / अपर मुख्य नियोजक

अनुलग्नक-ग

कॉलेज/संस्थान से परिचय पत्र का सांकेतिक प्रारूप

पत्र शीर्ष (लेटरहेड) पर दिया जाए/विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए

फ़ाइल संख्या ..... दिनांक: .....

सेवा में,

मुख्य नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
ई-ब्लॉक, विकास भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली - 110002।

विषय: टीसीपीओ इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए परिचय पत्र

महोदय,

श्री/सुश्री ..... इस <संस्था/कॉलेज> के <कार्यक्रम का नाम> के <सेमेस्टर/वर्ष> के एक वास्तविक छात्र <कॉलेज आईडी नंबर> हैं।

<संस्था/कॉलेज> टीसीपीओ में ..... से ..... की अवधि के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करना चाहता है। उनका जीवन-वृत (सीवी) संलग्न है। उसकी रुचि का क्षेत्र सीवी में दर्शाया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अवधि के दौरान कक्षा में उपस्थिति की आवश्यकता वाले किसी भी पाठ्यक्रम के लिए वह पंजीकृत नहीं है।

<कॉलेज/संस्थान> द्वारा दर्ज किए गए छात्र का आचरण अच्छा/संतोषजनक/असंतोषजनक पाया गया है।

(हस्ताक्षर और सील)